UPME040865182022

Warrant or Summons Criminal Case/10902/2022

न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ।
पीठासीन अधिकारी – श्री शैलेश पाण्डेय (उ0 प्र0 न्यायिक सेवा)
सरकार बनाम अकील आदि

अपराध संख्या 402/2009
धारा 13 जुआ अधिनियम
थाना लिसाडी गेट मेरठ।

दिनांक 22.7.2024

पत्रावली पेश हुई। बार बार पुकार करायी गयी। अभियुक्त उपस्थित नही और न ही अभियुक्त के द्वारा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना लिसाडी गेट मेरठ के द्वारा धारा 13 जुआ अधिनियम के तहत चालानी इस न्यायालय में प्रेषित किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध कई बार नोटिस व समन/आदेशिका जारी की गयी। मामला छोटे अपराध (पैटी आफैन्स) से सम्बन्धित है। यहां वाद संक्षिप्त/समन विचारणीय मामला है दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 258 में समन मामलो से सम्बन्धित कार्यवाही को रोके जाने का प्रावधान दिया गया है जो निम्न प्रकार हैः–

परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित किसी समन मामले में कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे कारणो, से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किये जायेंगे कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में कोई निर्णय सुनाये बिना रोक सकता है और जहां मुख्य साक्षियों के साक्ष्य को अभिलिखित किये जाने के पश्चात इस प्रकार कार्यवाहियॉ रोकी जाती हैं, वहां दोष मुक्ति का निर्णय सुना सकता है और किसी अन्य दशा में अभियुक्त को छोड़ सकता है और ऐसे छोडने का प्रभाव उन्मोचन होगा।

प्रस्तुत मामला परिवाद से भिन्न मामला है तथा समन विचारणीय है। इस पत्रावली में अभियुक्त बार बार आदेशिका जारी करने के पश्चात भी न्यायालय उपस्थित नही आ रहा है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी पत्र संख्या 484 इन्फ्रा सेल इलाहाबाद दिनांकित 30.05.2020 के द्वारा ऐसे मामलों को शीघ्र निस्तारित करने का आदेश दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी पत्र संख्या 15950/पैन्डैन्सी रिडक्शन सैल/दिनांक इलाहाबाद 06.11.2019 के द्वारा छोटे अपराध से सम्बन्धित पत्रावलियों को दाखिला की तारीख से तीन माह के भीतर निस्तारित करने का निर्देश दिया गया है। प्रस्तुत पत्रावली छोटे मामलों से सम्बन्धित है तथा पुराना है जिसमें अभी तक अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नही हो पायी है प्रकरण वर्ष 2009 की धटना से सम्बन्धित है और इस प्रकार लगभग 16 वर्ष पुराना है निकट भविष्य में भी अभियुक्त के उपस्थित होने की कोई सम्भावना नही है। अतः प्रस्तुत वाद की प्राचीनता, प्रकृति, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशो को दृष्टिगत रखते हुए इस वाद की कार्यवाही को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 258 के तहत रोका जाना न्यायोचित व तर्क संगत है।

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 258 के तहत रोकी जाती है। प्रस्तुत वाद में किसी साक्षी का साक्ष्य अंकित नही हुआ हैं इसलिए अभियुक्त अकील, मौ0 दाउद, शाकिर, राशिद को उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेंखागार हो।

(शैलेश पाण्डेंय)
विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मेरठ।
जे ओ कोर्ड यू0पी0 2093